



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

चतुर्थ तल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल व्यावसायिक परिसर, (दक्षिण पूर्व कॉर्नर)
सेक्टर-27, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन-492015 (छत्तीसगढ़)
दूरभाष-0771-2511287, 2511285, ई-मेल: office.mdnrhm@gmail.com



पत्र क्रमांक/एनएचएम/एचआर/2020/NS-27/66

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक - 26/05/2020

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर हेतु

06 माह के सामुदायिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम (सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी/Community Health Officer) के
लिए आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं।

मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से ऐसे इच्छुक एवं उत्साही अभ्यर्थियों
को आमंत्रित किया जाता है, जो समुदाय को अपने घर के नजदीक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए “6 माह
के ‘सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूनिटी हेल्थ” प्रशिक्षण जुलाई-2020 में आवेदन करना चाहते हैं। यह पाठ्यक्रम
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उपस्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने का एक
अंग है। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित उपस्वास्थ्य केन्द्रों में समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की
जायेगी जिनमें बीमारियों से बचाव एवं हेल्थ प्रमोशन के कदम भी शामिल हैं। वे अभ्यर्थी जो इस पाठ्यक्रम को
सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेंगे, वे उपस्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ होकर समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाय हेतु “मिड
लेवल हेल्थ प्रोवाइडर” के रूप में सेवाएँ देंगे एवं अन्य मैदानी कार्यकर्ताओं जैसे—ए.ए.एम., एम.पी.डब्ल्यू. एवं
मितानिन की टीम का भी नेतृत्व करेंगे। उपरोक्त नियुक्ति राज्य के किसी भी जिले के चिन्हांकित उप स्वास्थ्य केन्द्रों
में काउंसिलिंग के माध्यम से संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ के नियमानुसार की जायेगी।

चयनित उम्मीदवारों के लिए मानदेय एवं अन्य सुविधाएँ –

- प्रशिक्षण अवधि के दौरान 10000 रु. प्रतिमाह मानदेय आपके रहने एवं भोजन खर्च के लिए दिया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) की फीस, फिल्ड
में प्रैक्टिस एवं प्रशिक्षण संबंधी अन्य खर्च दिया जाएगा।
- मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर के रूप में संविदा कार्य करने के दौरान प्रतिमाह 16,500 रु. वेतन एकमुश्त एवं
साथ में कार्य-प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि (Performance Based Incentive) प्रतिमाह अधिकतम 15000
रु. तक दी जायेगी तथा इस संबंध में मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समय-समय पर जारी
दिशा-निर्देश लागू होंगे।

अनिवार्य योग्यता :-

- अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। विज्ञापित जिलेवार पदों हेतु संबंधित जिले के अंतर्गत¹
आने वाले जिलों के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। जिले के स्थानीय निवासी नहीं मिलने की स्थिति में
संबंधित संभाग के अन्य जिलों के अभ्यर्थियों को आरक्षण के आधार पर चयनित किया जावेगा।
- अभ्यर्थी को क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषा में दक्षता एवं ज्ञान हो।
- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नर्सिंग कोर्स – बी.एस.सी. (नर्सिंग), पोस्टबेसिक बी.एस.सी.
(नर्सिंग), एवं जी.एन.एम. में उत्तीर्ण हो।
- अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2020 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। (अनुसूचित
जाति एवं जनजाति हेतु अधिकतम आयु 40 वर्ष)

क्रमशः

नियम एवं शर्तें :-

- प्रशिक्षण में प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थी को अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा जिसके तहत उपरोक्त पाठ्यक्रम पूर्ण कर परीक्षा में उत्तीर्ण होने उपरांत उन्हें हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के रूप में चिन्हांकित उपस्थान केन्द्र में कम से कम 3 वर्ष तक कार्य करना होगा।
- अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण स्थल चयन करने उपरांत प्रशिक्षण में प्रवेश नहीं लिये जाने पर IGNOU द्वारा प्रशिक्षण हेतु निर्धारित शुल्क रु. 15,000/- राष्ट्रीय स्थान कार्यालय में जमा किया जाना होगा। निर्धारित शुल्क की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अनुबंध के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- शासकीय संस्थानों में सेवारत अभ्यर्थी द्वारा काउंसिलिंग के दौरान संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नीति लागू होगी। साथ ही इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियम भी लागू होंगे। जाति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- उक्त पाठ्यक्रम में अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित उच्चतम शैक्षणिक योग्यता बी.एस.सी. (नर्सिंग), पोस्टबेसिक बी.एस.सी. (नर्सिंग), एवं जी.एन.एम. में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर संयुक्त मेरिट सूची से किया जावेगा तथा बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा पोस्टबेसिक बी.एस.सी. (नर्सिंग) को किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं दी जावेगी।
- प्रशिक्षण स्थल के चयन हेतु प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी उपरांत मेरिट के आधार पर आवश्यकतानुसार ऑनलाईन प्रस्तुत विकल्प के आधार पर प्रशिक्षण स्थल का आवंटन किया जावेगा। जिसकी सूचना पृथक से विभागीय वेबसाईट के माध्यम से दी जावेगी।
- समस्त परीक्षार्थियों को आवेदन पत्र के साथ नियमानुसार शुल्क ऑनलाईन के माध्यम से जमा करना होगा। शुल्क जमा न करने की स्थिति में उम्मीदवार को अपात्र माना जावेगा।

वर्ग	शुल्क का विवरण
विकलांग / अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला	100
अन्य पिछड़ा वर्ग	200
अनारक्षित वर्ग	300

अभ्यर्थी आवेदन शुल्क भुगतान की रसिद अपने पास अनिवार्य रूप से रखें ताकि शुल्क जमा न होने के कारण अपात्र किये जाने पर अभ्यर्थी दावा-आपत्ति में भुगतान की रसिद प्रस्तुत कर सकें।

- सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ (MLHP) की भर्ती जिलेवार की जावेगी, जिसमें आरक्षण का रोस्टर भी जिला स्तर का ही लागू होगा।

क्रमशः

- भर्ती किये जाने वाले पदों की जिलेवार/आरक्षण रोस्टरवार तालिका निम्नानुसार है :-

सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ पाठ्यक्रम हेतु जिलेवार रोस्टर अनुसार सीटों का विवरण					
जिला	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल
बालोद	5	3	1	1	10
बलौदा बाजार	15	3	6	5	29
बलरामपुर	8	27	2	6	43
बरतर	14	36	1	8	59
बैमेतरा	2	1	1	1	5
बीजापुर	2	20	2	4	28
बिलासपुर	27	13	9	8	57
दंतेवाड़ा	2	21	1	4	28
धमतरी	3	1	0	1	5
दुर्ग	1	1	0	1	3
गरियाबंद	10	9	3	3	25
जांजगीर-चाम्पा	20	5	9	6	40
जशपुर	7	24	2	5	38
कांकेर	13	24	2	6	45
कवर्धा	16	6	4	4	30
कोणडागांव	4	22	1	5	32
कोरबा	17	21	5	7	50
कोरिया	10	13	3	4	30
महासमुंद	14	8	4	4	30
मुंगेली	15	3	8	4	30
नारायणपुर	1	8	0	2	11
रायगढ़	20	16	7	7	50
रायपुर	2	1	1	1	5
राजनांदगांव	19	11	4	6	40
सुकमा	1	13	0	1	15
सूरजपुर	11	13	2	4	30
सरगुजा	8	18	2	4	32
कुल योग -	267	341	80	112	800

- माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीसन (री) 591/2012 रिट पिटीसन (री) 592/2012, रिट पिटीसन (री) 593/2012, रिट पिटीसन (री) 594/2012 में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों के वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

आवेदन की प्रक्रिया :-

- विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन दिनांक 29/05/2020 से 11/06/2020 सायं 05:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। अन्य निर्देश/आदेश/जानकारी भी उक्त वेबसाइट में दी जावेगी।
- उमीदवारों को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरा जाना अनिवार्य होगा। आवेदक को किसी भी प्रकार के दस्तावेज वर्तमान समय में अपलोड नहीं करना होगा। चयन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज परीक्षण की प्रक्रिया के समय आवेदक के समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया जायेगा।
- ऑनलाईन भरे हुये आवेदन में तथा दस्तावेजों के परीक्षण में किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिये उमीदवार व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। गंभीर त्रुटि पाये जाने की अवस्था में वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये भी उमीदवार व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। कृपया ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सतर्कता/सावधानी बरतें।
- सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेत्थ पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन में अंकित शैक्षणिक योग्यता (उदा.-जी.एन.एम. पाठ्यक्रम हेतु तीनों वर्षों में प्राप्त कुल अंक एवं इंटर्नशीप में प्राप्त कुल अंक को सम्मिलित कर एग्रीगेट अंक तथा बी.एस.सी.-नर्सिंग/पोस्ट बेरिक के अंतिम वर्ष की अंकसूची में अंकित एग्रीगेट अंक ऑनलाईन आवेदन में भरा जावे।) के अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

नोट :-

- केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जावेंगे।
- अभ्यर्थियों हेतु दावा-आपत्ति एवं मेरिट सूची विभागीय वेबसाइट cghealth.nic.in पर जारी की जायेगी एवं इसके अलावा कोई अन्य माध्यम से सूचित नहीं किया जावेगा।
- प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट एवं सीटों की आरक्षणवार संख्या अनुसार सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेत्थ पाठ्यक्रम हेतु जिलेवार चयन किया जावेगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मानव संसाधन नीति, 2018 के अनुसार कुल पदों का तीन गुना, जिलेवार आवेदक ही प्रावीणता के आधार पर काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किये जावेंगे।
- प्रशिक्षण केन्द्र/Programme Study Centre—मेडिकल कॉलेज विलासपुर, मेडिकल कॉलेज रायपुर, मेडिकल कॉलेज रायगढ़, मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, जिला अस्पताल धमतरी, जिला अस्पताल बीजापुर, जिला अस्पताल कांकेर, जिला अस्पताल कोरबा, जिला अस्पताल महासगुंद, जिला अस्पताल विलासपुर, जिला अस्पताल रायपुर, जिला अस्पताल दुर्ग, जिला अस्पताल जशपुर एवं जिला अस्पताल सूरजपुर में प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिये भेजा जावेगा। चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन के संबंध में अंतिम निर्णय मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का होगा।
- समान अंक होने की अवस्था में अधिक उम्र के उमीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी।

क्रमशः

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगे।
- ऑनलाईन आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपने स्वयं का वैध मोबाईल नंबर एवं ई-मेल पता ऑनलाईन आवेदन में भरें तथा इसे सुरक्षित एवं चालू रखें, जिससे उक्त भर्ती से संबंधित जानकारी हेतु संपर्क/पत्राचार किया जा सके। साईबर कैफे अथवा किसी कम्प्यूटर सेंटर से ऑनलाईन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी अपना स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. ही आवेदन में भरें।
- अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
- किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- ऑनलाईन आवेदन से संबंधित किसी भी जानकारी हेतु अभ्यर्थी कार्यालयीन दूरभाष नंबर 0771-255288 एवं 7587856100 पर कार्यालयीन दिन एवं समय प्रातः 10:30 से सायं 05:30 के मध्य संपर्क कर सकते हैं।
- उक्त विज्ञापन के संबंध में दावा-आपत्ति, प्रावीण्य सूची, मेरिट सूची, काउंसिलिंग एवं अन्य सूचना हेतु निरंतर विभागीय वेबसाईट eghealth.nic.in का अवलोकन करते रहें। अन्य किसी भी माध्यम से कोई भी सूचना नहीं भेजी जावेगी।



मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
छत्तीसगढ़